

24.6.15 न्यायिक (उप-न्यायिक) उमर पत्र का 30
10.7.15 न्यायिक दिनांक 24.7.15 को (वे)

L.R. 30

24.7.15 अति-आस्थापित। उमर पत्र का उमर अनुपस्थित
अति-दिनांक 10.8.15 को (वे)

Case

10.8.15 अति-आस्थापित। उमर पत्र का उमर अनुपस्थित
उमर का उमर अनुपस्थित होने से स्पष्ट है
कि उन्हें उमर पत्र में किसी प्रकार की
अभिप्रेत नहीं है। अतः उमर पत्र के उमर
अनुपस्थित होने के कारण उमर पत्र की
(indefinite) के आधार पर उमर की कार्यवाही
समाप्त की जाती है।

Case.